न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

(7)

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 121/2017 (197/2015)

दायर दिनांक :- 04.12.2017 (02.12.2015)

उनवान

1. जगदीश पुत्र महादेव
2. सीताराम पुत्र महादेव

} समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा।

- (वादीगण)

बनाम

1 रिन्कू उर्फ रवि पुत्र देवीसहाय
2 टीना पुत्री देवीसहाय
3 लक्ष्मा देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण

} समस्त जाति मीणा निवासी कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा (राजस्थान)

4 रामफूल
5 घनश्याम

} नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका लक्ष्मा पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी कुण्डल तहसील व जिला दौसा।

6 प्रभाती देवी पत्नि नरसीराम जाति मीणा निवासी दुड़की।

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

8 उपपंजियक दौसा।

-(प्रतिवादीगण)

उपस्थितिः- 1. श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता प्रतिवादी नं 6

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

(8)

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटी एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः 05.10.2021

वकील मय वादीगण ने एक वाद दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 197 रकबा 0.53 है0, खसरा न0 198 रकबा 0.63 है0, खसरा न0 209/2302 रकबा 0.16 है0 तथा खसरा न0 219 रकबा 0.54 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.86 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 में आज दिन तक विभाजन नही हुआ है। उक्त सम्पूर्ण आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.11.2015 को प्रतिवादी संख्या 6 को खसरा नम्बर 197 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.54 है0 भूमि में से बिना विभाजन करवाये ही विधिविरूद्व तरीके से विक्रय कर दिया है।

उक्त वाद में वकील वादीगण ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया हैः-

1. डिक्री विभाजन बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जावे कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी खसरा न0 197 रकबा 0.53 है0, खसरा न0 198 रकबा 0.63 है0, खसरा न0 209/2302 रकबा 0.16 है0 तथा खसरा न0 219 रकबा 0.54 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.86 है0 भूमि वाके ग्राम कुण्डल तहसील दौसा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस (सरस से सरस व नरस से नरस) से विभाजन फरमाकर हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम फरमाया जावें।

2. डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 6 इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि वे वादीगण के हिस्से के कब्जे काश्त में कोई दखल उत्पन्न नही करें।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

(7)

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किय गये। प्रतिवादी नम्बर 6 की तरफ से अधिवक्ता विनोद विजय ने वकालतनामा पेश किया तत्पश्चात दिनांक 31.05.2017 को न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को ग्राम कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 197 रकबा 0.53 है0, खसरा न0 198 रकबा 0.63 है0, खसरा न0 209/2302 रकबा 0.16 है0 तथा खसरा न0 219 रकबा 0.54 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.86 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2018/2675 दिनांक 07.05.2018 एवं पत्रांकः कोर्ट/2019/257 दिनांक 28.05.2019 के द्वारा तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा के द्वारा कुर्रेजात तैयार कर उनके पत्रांकः भू0अ0/2019/5579 दिनांक 07.05.2019 के द्वारा कुर्रेजात इस न्यायालय को दिनांक 07.06.2019 को निम्न प्रकार से पेश किय गये।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
1.	कोयल पत्नि महादेवा जगदीश व सीताराम पि0 महादेवा हिस्सा 3/8, लक्ष्मा पत्नि स्व0 लक्ष्मीनारायण रामफूल घनश्याम पि0 लक्ष्मीनारायण हि0 1/8 जाति मीना सा0 देह	197	0.53	2.38
		198/1	0.24	1.08
		209/2302	0.16	0.72
		कुल किताः 3	रकबाः 0.93 है0	4.18

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
2.	प्रभाती पत्नि नरसीराम जाति मीना सा0 देह	219	0.54	4.86
		कुल किताः 1	रकबाः 0.54 है0	4.86

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
3.	रिन्कू उर्फ रवि पुत्र देवीसहाय जाति मीना सा0 देह	198/2	0.39	1.76
		कुल किताः 1	रकबाः 0.39 है0	1.76

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

10

तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही की गई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 में दर्ज पक्षकारान की खातेदारी हिस्से व कुर्रेजात रिपोर्ट का मिलान किया गया राजस्व रिकार्ड में कुर्रेजात रिपोर्ट खसरा न0 197 रकबा 0.53 है0, खसरा न0 198 रकबा 0.63 है0, खसरा न0 209/2302 रकबा 0.16 है0 तथा खसरा न0 219 रकबा 0.54 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.86 है0 में पक्षकारान के खातेदारी हिस्से के अनुसार सही पायी गई है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 07.06.2019 के मुताबिक ख्खसरा न0 197 रकबा 0.53 है0, खसरा न0 198 रकबा 0.63 है0, खसरा न0 209/2302 रकबा 0.16 है0 तथा खसरा न0 219 रकबा 0.54 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.86 है0 भूमि वाके ग्राम कुण्डल तहसील दौसा के मध्य तकास्मा किया जाकर अलग-अलग खाताबन्दी की जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व नक्शा में तितम्बा काटे जाकर अलग-अलग लगान कायम करने के आदेश दिये जाते है।

कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तैयार दिनांक 07.05.2019 तथा पेश दिनांक 07.06.2019 इस अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 5/10/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा